

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाइन्स)

// आदेश //

क्रमांक फा.नं. 18/स्था0/राविसेप्रा/ 109 /2022 जबलपुर दिनांक 07/04/2022

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विज्ञापन क्रमांक-37/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021, दिनांक 08.06.2021 के आधार पर जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान 56100-177500 में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीक्षा पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के कॉलम नम्बर-05 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	रोल नम्बर	नाम व पिता का नाम	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	MPAO2105415	श्री सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री रमेशचन्द्र शुक्ला	102 ब्रह्माऋषि कालोनी ग्वारीघाट (साकेत धाम) जबलपुर 482008	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी
2	MPAO2105910	श्री प्रवीण कुमार पिता श्री सुबेसिंह	वार्ड नं.33 गोविन्द नगर कालोनी,राजपुरा पिलानी जिला झुंझुनु राजस्थान 333031	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर
3	MPAO2106185	श्री सौरभ कुमार दुबे पिता श्री रघुनाथ दुबे	बी 68 स्ट्रीट नं.9 न्यू मार्डन शाहदरा नई दिल्ली थाना-मानसरोवर पार्क	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड
4	MPAO2106937	श्री अतुल सेन पिता श्री अभयनाथ सेन	वार्ड नं.1 उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन्स तहसील रघुराज नगर जिला सतना 485001	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली
5	MPAO2100817	कु० ऋतु प्रजापति पिता श्री एन.एल. प्रजापति	एमआईजी-166 सेंट मेरी स्कूल के पास एमएलबी वार्ड नं.5,गौर नगर मकरोनिया सागर म.प्र. 470004	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़
6	MPAO2100994	श्री जयदेव मानिक पिता श्री सुखदेव मानिक	733 शिवमंदिर के पीछे,स्कीम नं. 51 सगंम नगर एरोडम पुलिस थाना इन्दौर 452006	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर
7	MPAO2102270	कु. अनुपमा मुजाल्दे पिता श्री दुलेसिंह	211-ए प्रजापत नगर थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर 452009	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा
8	MPAO2100159	श्री सर्वेश चतुर्वेदी पिता श्री सुरेन्द्र मोहन चतुर्वेदी	8/31 आर्य समाज रोड शिवपुरी म.प्र. 473551	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थीगण को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन **जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर)** के वेतनमान **रु. 56100-177500** के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त अभ्यर्थीगण पदस्थापना स्थल पर दिनांक **25.04.2022** अथवा उसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे।

शर्तः—

- 1- वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे।
- 2- म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे।
- 3- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम,1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
- 4- एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी।
- 5- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।
- 6- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 7- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 8- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 9- अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10- अभ्यर्थियों द्वारा ज्वार्डनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जायेगा।
- 11- इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।
- 12- इन नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

Sd-


(राजीव कर्महे)

सदस्य सचिव

पृष्ठांक 0 फा 0 नं 0 18/स्था 0/राविसेप्रा 0/109/2022 जबलपुर, दिनांक 07/04/2022
प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक सह-आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर मध्य प्रदेश राज्यपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी, मंदसौर, भिण्ड, सिंगरौली, राजगढ़, बुरहानपुर, खण्डवा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर।
9. श्री सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री रमेशचन्द्र शुक्ला 102 ब्रह्माऋषि कालोनी ग्वारीघाट (साकेत धाम) जबलपुर 482008 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. श्री प्रवीण कुमार पिता श्री सुबेसिंह, वार्ड नं.33 गोविन्द नगर कालोनी, राजपुरा पिलानी जिला झुंझुनु राजस्थान 333031 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. श्री सौरभ कुमार दुबे, पिता श्री रघुनाथ दुबे, बी 68 स्ट्रीट नं.9 न्यू मार्डन शाहदरा नई दिल्ली थाना-मानसरोवर पार्क की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. श्री अतुल सेन पिता श्री अभयनाथ सेन, वार्ड नं.1 उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन्स तहसील रघुराज नगर जिला सतना 485001 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. कु0 ऋतु प्रजापति पिता श्री एन.एल. प्रजापति, एमआईजी-166 सेंट मेरी स्कूल के पास एमएलबी वार्ड नं.5, गौर नगर मकरोनिया सागर म.प्र. 470004 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. श्री जयदेव मानिक, पिता श्री सुखदेव मानिक, 733 शिवमंदिर के पीछे, स्कीम नं. 51 सगंम नगर एरोडम पुलिस थाना इन्दौर 452006 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. कु. अनुपमा मुजाल्दे पिता श्री दुलेसिंह, 211-ए प्रजापत नगर थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर 452009 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. श्री सर्वेश चतुर्वेदी पिता श्री सुरेन्द्र मोहन चतुर्वेदी, 8/31 आर्य समाज रोड शिवपुरी म.प्र. 473551 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. आई.टी. शाखा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
19. स्थापना अनुभाग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु


(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव